

न्यायालय सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 120/2018

दायर तारीख 10/09/2018

अनवान

01. प्यारचन्द पिता नन्द उर्फ नन्दराम तेली निवासी सोनीयाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....वादी

बनाम

01. मंगनीराम पिता नन्दा तेली निवासी सोनीयाणा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
02. व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० सोनीयाणा तहसील सहाड़ा।
03. तहसीलदार सहाड़ा मु० गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री गणपत राणवा अधिवक्ता वादीगण

श्री अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज० का० अधिनियम


:- निर्णय :-

दिनांक :- 29 / 11 / 2019

संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 24.09.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम सोनीयाणा पटवार हल्का सोनीयाणा की नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 366 स्थित आराजी नं० 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2027, 2028, 2029, 2040, 2053, 2055, 2056, 2073, 2074, 2077 कुल कित्ता 23 कुल रकबा 5.79हे०, इसी प्रकार खाता संख्या 367 स्थित आराजी नं० 2032/1, 2051/1 कुल कित्ता 02 कुल रकबा 0.31हे०, इसी प्रकार खाता संख्या 369 स्थित आराजी नं० 2043 रकबा 0.10हे० भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी०डी०/2019/214 दिनांक 25.11.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

सोनीयाणा पटवार हल्का सोनीयाणा की नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के खाता संख्या 366 स्थित आराजी नं० 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2027, 2028, 2029, 2040, 2053, 2055, 2056, 2073, 2074, 2077 कुल कित्ता 23 कुल रकबा 5.79हे०, इसी प्रकार खाता संख्या 367 स्थित आराजी नं०

लगातार 02


सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

//02//

2032/1, 2051/1 कुल किता 02 कुल रकबा 0.31हे0, इसी प्रकार खाता संख्या 369 स्थित आराजी नं0 2043 रकबा 0.10हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखों में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे0)
1	2	3	4	5
1	प्यारचन्द पिता नन्दा उर्फ नन्दराम तेली सा0 देह खातेदार रहन G.S.S.S. लि0 सोनियाणा ख0न0 2032/1, 2051/1 व 2043 को छोडकर।	सोनियाणा	1996	0.38
			1997	0.18
			1998	0.12
			1999	0.15
			2000	0.27
			2001	0.20
			2002	0.22
			2003	0.23
			2004	0.19
			2028	0.30
			2029	0.32
			2032/1	0.12
			2040/2	0.18
			2043	0.10
			2051/1	0.07
			2055	0.23
			2056	0.23
2074	0.34			
2078	0.30			
कुल योग			19	4.13
2	मगनीराम पिता नन्दा उर्फ नन्दराम तेली सा0 देह खातेदार	सोनियाणा	1994	0.13
			1995	0.38
			2005	0.23
			2006	0.23
			2027	0.30
			2032/3	0.12
			2040/1	0.10
			2053	0.23
2073	0.35			
कुल योग			9	2.07

उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

(विकास पंचोली)

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 23/11/2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा